न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : ओमप्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र सं. 03/2013

प्रार्थी–	***बनाम***	**अप्रार्थी–**
वेनाराम पुत्र रामाराम जाति चौधरी		पूनमाराम पुत्र भीखाराम जाति चौधरी
निवासी कल्याणपुर तहसील		निवासी कल्याणपुर रामनगर तहसील
पचपदरा जिला बाड़मेर		पचपदरा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 ।

उपस्थिति :–
1. श्री श्यामलाल सिंहल, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री हुकमसिंह चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 01.09.2021

1. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 20.07.1967 को अप्रार्थी पूनमाराम पुत्र भीखाराम कौम पिटल सा0 देह को ग्राम कल्याणपुर के खसरा नंबर 33 में रकबा 31–10 बीघा भूमि आवंटन की गई। अप्रार्थी की ओर से तथ्य छिपाकर भूमि आवंटन समिति के सदस्यों को अंधेरे में रखकर आवंटन कराया जाना अभिकथित करते हुए उक्त आवंटन के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना–पत्र राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.01.2013 को प्रस्तुत किया गया है।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

2. प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को जवाब हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता की बहस सुनी एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य का अवलोकन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 17:50:04 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

3. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण को सुना एवं प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अप्रार्थी पूनमाराम ने स्वयं को भूमिहीन काश्तकार बताकर मौजा कल्याणपुर के खसरा नंबर 33 नया खसरा नंबर 556/33 रकबा 34–10 बीघा किस्म बारानी अव्वल भूमि आवंटित करने बाबत दिनांक 20.07.1967 को भूमि आवंटन समिति के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। इस प्रार्थना–पत्र में अप्रार्थी ने सही तथ्यों को छिपाकर व आवंटन समिति के सदस्यों को अंधेरे में रखकर उक्त भूमि आवंटन कराई है जबकि वक्त आवंटन अप्रार्थी नाबालिग था तथा उसकी उम्र लगभग 8 वर्ष थी। अप्रार्थी के पिता भीखाराम की खातेदारी में लगभग 85 बीघा भूमि दर्ज थी और नोशनल शेयर के आधार पर पूनमाराम भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी में नहीं आता था। मौजा कल्याणपुर का खसरा नंबर 33 वक्त आवंटन बिला कब्जा भी नहीं था और न ही आवंटन योग्य था। इस प्रकार अप्रार्थी पूनमाराम ने भूमि आवंटन समिति के समक्ष सही तथ्यों को छिपाकर छल व कपट के आधार पर अपने पक्ष में ग्राम कल्याणपुर के खसरा नंबर 33 नया खसरा नंबर 556/33 की 31–10 बीघा भूमि का आवंटन कराया है जो निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को किया गया उपरोक्त भूमि आवंटन निरस्त फरमावें।

4. अप्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने जवाब में निवेदन किया कि अप्रार्थी भूमिहीन व्यक्ति था जिसके नाम से पैतृक खातेदारी में कुल 21–5 बीघा भूमि ही बंट में आती थी तथा अप्रार्थी को केवल 31–10 बीघा भूमि आवंटन किया गया है। इस प्रकार कुल 52–15 बीघा भूमि आवंटन सहित अप्रार्थी को प्राप्त हुई है जबकि आवंटन नियमों के मुताबिक 75 बीघा भूमि का आवंटन किया जा सकता था। इस प्रकार प्रार्थी का यह कथन सरासर गलत है कि अप्रार्थी वक्त आवंटन भूमिहीन नहीं था। वक्त आवंटन अप्रार्थी पूनमाराम बालिग व अनपढ़ व्यक्ति था तथा उसकी उम्र 22 वर्ष की थी। इस तथ्य की ताईद भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र से होती है। प्रार्थी ने

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 17:50:04 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

प्रार्थना–पत्र के साथ जो परिवार कार्ड व मतदाता सूची पेश की है वह गलत है। अप्रार्थी पूनमाराम वक्त आवंटन 22 वर्ष का था और उस समय उसके नाम कोई खातेदारी भूमि नहीं थी, अप्रार्थी ने आवंटन कराने में किसी प्रकार का छल व कपट नहीं किया है। प्रार्थी वेनाराम अप्रार्थी पूनमाराम का सगा काकाई भाई है तथा स्व0 जवाराराम के वंशज हैं। प्रार्थी को व्यक्तिगत हैसियत से यह आवेदन पेश करने का कोई अधिकार नहीं है और न ही प्रार्थी को आवेदन पेश करने की लोकस स्टैण्डाई है। प्रार्थी ने पारिवारिक रंजिश की वजह से यह आवेदन पत्र झूठे तथ्यों पर पेश किया गया है। अप्रार्थी पूनमाराम को दिनांक 20.07.1967 को आलौच्य आवंटन किया गया था जिसके विरूद्ध यह प्रार्थना–पत्र लगभग 45 वर्ष बाद दिनांक 26.12.2012 को पेश किया है। प्रार्थी ने यह आवेदन असाधारण देरी से प्रस्तुत करने का कोई कारण अपने आवेदन में नहीं बताया है और न ही असाधारण देरी को समायोजित करने हेतु धारा 5 परिसीमा अधिनियम का आवेदन पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। इस आधार पर आवेदन निरस्त योग्य है।

5. हमने दोनों पक्षों की ओर से प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में मुख्य बिन्दु यह हैं कि आवंटी पूनमाराम द्वारा तथ्य छिपाकर कपट या दुर्व्यपदेशन के द्वारा आवंटन कराया है, जिसके आधार पर यह प्रार्थना पत्र नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में प्रार्थी का कथन हैं कि वक्त आवंटन अप्रार्थी नाबालिग था तथा उसकी उम्र लगभग 8 वर्ष थी। अप्रार्थी के पिता भीखाराम की खातेदारी में लगभग 85 बीघा भूमि दर्ज थी और नोशनल शेयर के आधार पर पूनमाराम भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी में नहीं आता था। मौजा कल्याणपुर का खसरा नंबर 33 वक्त आवंटन बिला कब्जा भी नहीं था और न ही आवंटन योग्य था। इस संबंध में अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा जवाब में प्रकट किया है कि अप्रार्थी भूमिहीन व्यक्ति था जिसके नाम से पैतृक खातेदारी में कुल 21–5 बीघा भूमि ही बंट में आती थी तथा अप्रार्थी को केवल 31–10 बीघा भूमि आवंटन किया गया है। इस प्रकार कुल 52–15

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 17:50:04 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

बीघा भूमि आवंटन सहित अप्रार्थी को प्राप्त हुई है जबकि आवंटन नियमों के मुताबिक 75 बीघा भूमि का आवंटन किया जा सकता था। वक्त आवंटन अप्रार्थी पूनमाराम बालिग व अनपढ़ व्यक्ति था तथा उसकी उम्र 22 वर्ष की थी। इस तथ्य की ताईद भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र से होती है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने यह भी प्रकट किया है कि प्रार्थी द्वारा यह आवेदन पत्र आवंटन के लगभग 45 वर्ष बाद प्रस्तुत किया है एवं वर्तमान में करीब 53 वर्ष व्यतीत हो गये हैं। मयाद के संबंध में अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा न्यायिक निर्णय नजीर 2016(2)आरआरटी पेज 756 का न्यायिक उद्धरण प्रस्तुत किया जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा निर्धारित किया है कि असाधारण देरी से प्रस्तुत किया गया आवेदन निरस्त योग्य है। इसके अलावा अधिवक्ता अप्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 2(26ए) भूमिहीन व्यक्ति की परिभाषा में प्रकट किया कि दिनांक 08.04.1983 को संशोधन उपरान्त वर्तमान परिभाषा जोड़ी गई है जबकि इससे पूर्व आलौच्य आवंटन होने से पूर्व की राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 में यथा विहित परिभाषा अनुसार भूमिहीन कृषक 75 बीघा धारित करने तक विहित था। इस प्रकार अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से अप्रार्थी को वक्त आवंटन भूमिहीन नहीं होने का तथ्य साबित नहीं हुआ है। जहां तक अप्रार्थी वक्त आवंटन नाबालिग होने का कथन है तो इस संबंध में अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र व आधार कार्ड में अंकित जन्मतिथि से यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी पूनमाराम वक्त आवंटन नाबालिग नहीं था। जन्मतिथि के संबंध में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के मुकाबले अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत उक्त साक्ष्य प्रबल होना प्रतीत होता है। राजस्थान भू–राजस्व (कृषि भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के तहत मिथ्या व्यपदेशन के द्वारा अवैध आवंटन या आवंटन की शर्तों की पालना न करने पर आवंटन निरस्त करने का प्रावधान है। हस्तगत प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के अवलोकन से पाया जाता है कि अप्रार्थी द्वारा वक्त आवंटन

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 17:50:04 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

किसी प्रकार के तथ्यों को छिपाकर मिथ्याव्यपदेशन नहीं किया गया है तथा न ही आवंटन शर्तों के उल्लंघन का कोई साक्ष्य प्रकट किया गया है जिसके अभाव में आलौच्य आवंटन निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं। लिहाजा उभय पक्षकारान की ओर से प्रकट तथ्यों पर मनन उपरांत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य है।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के उपरांत प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र सरहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जाता हैं।

7. निर्णय आज दिनांक 01.09.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

(ओमप्रकाश बिश्नोई)
अपर जिला कलक्टर,
बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.09.09 17:50:04 IST
Reason: SelfAttested